

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 2017/पौष 16, 1938

No. 38]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 2017/PAUSA 16, 1938

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2016

का.आ. 42(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा उक की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 103(अ), तारीख 13 जनवरी, 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के 322.400 कि.मी. से 405.000 कि.मी. (दुर्ग—नागपुर सेक्शन) तक के भूखण्ड का बाइपासों के सन्निर्माण सहित निर्माण (चौडा करने), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा उक की उपधारा (3) के अधीन तारीख 6 अप्रैल, 2016 को ''हरीभुमि'' और ''नवभारत'' दोनों में प्रकाशित किया गया था :

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा उघ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

71 GI/2017 (1)

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—06 के 322.400 कि. मी. से 405.000 कि. मी. तक (दुर्ग—नागपुर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण:—

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	खसरा सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	लखोली	289 / 2-3 व 291 / 3, 4, 5	निजी	कृषि योग्य भूमि नहीं	132	शंकरसिंह आ. कन्हैयालाल कोठारी, प्रो. मेसर्स अजीत सीमेंट प्रोडक्ट
						योग	132	

[फा. सं. भाराराप्रा / भू.अ. / 11013 / 01 / नोटिफ – सी.जी. / रायपुर]

राजेश गुप्ता, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2016

S.O. 42(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 103(E), dated 13th January, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) issued under sub section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening) maintenance, management and operation of National Highway No.-06 including construction of bypasses, on the stretch of land from Km. 322.400 to Km. 405.000 (Durg -Nagpur Section) in District Rajnandgaon, in the State of Chhattisgarh;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Haribhumi" & "Navbharat" both dated 6th April, 2016 under sub-section (3) A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 322.400 to Km. 405.000 (Durg to Nagpur section) of the National Highway No. 06 in the State of Chhattisgarh

Serial number	Name of District	Name of Taluk	Name of Village	Khasra Survey number	Type of Land	Nature of Land	Area in Sqm.	Name of the Person Interested
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Lakholi	289/2-3 & 291/3, 4, 5	Private	Non Agriculture	132	Shankarsingh S/o Kanhaiyalal Kothari, Pro. M/s Ajit Cement Product
						Total	132	

[F. No. NHAI/LA/11013/01/Notif.-C.G./Raipur]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.